

# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 1081/स्था/प्रनिबो/2022

भोपाल, दिनांक

31 MAR 2022

## कार्यालय आदेश

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत जारी जीव चिकित्सा अपशिष्ट नियम, परिसंकटमय अपशिष्ट नियम, अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, तथा ईआईए नोटिफिकेशन 14/9/2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति अन्तर्गत लोक सुनवाई प्रक्रिया अन्तर्गत उद्योगों/संस्थानों द्वारा पंजीयन/प्राधिकार/लोक सुनवाई आवेदन के साथ दिनांक 1/4/2022 से निम्नानुसार प्रक्रिया शुल्क निर्धारित किया जाता है :-

### पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई प्रशासकीय शुल्क


क्र.	विनिधान	शुल्क (रूपये)
1	50 करोड तक या उससे कम	1,00,000
2	50 करोड से अधिक	5,00,000

### पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के विभिन्न नियमों में प्राधिकार/पंजीयन शुल्क

क्र.	नियम	पंजी/ अनु/ प्राधिकार	प्रशासकीय शुल्क (रूपये)
1	जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2016	प्राधिकार	1 क्लीनिक, पेथोलॉजी लेब, ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड संस्थान, 10 बिस्तर तक के चिकित्सा संस्थान 1,000/- एकबार आजीवन 2 10-25 बिस्तर तक के चिकित्सालय 1,000/- प्रतिवर्ष (चार शैया तक) प्रतिशैया रूपये 200/- प्रतिवर्ष अतिरिक्त 3 25 बिस्तर से अधिक के चिकित्सालय हेतु रूपये 1000/- प्रतिवर्ष एवं अतिरिक्त बिस्तर हेतु रूपये 100/- प्रतिवर्ष अतिरिक्त 4 जीव चिकित्सा अपशिष्ट अपवहन संस्थान से रूपये 25,000/- प्रतिवर्ष 5 जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में संलग्न परिवहनकर्ता संस्थान से रूपये 10,000/- प्रतिवर्ष
2	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2016	प्राधिकार	नगर निगम के ठोस अपशिष्ट का निपटान स्वयं संचालन करने वाले आपरेटरों के लिए निम्नानुसार शुल्क रहेगा :- 1 प्रतिदिन 100 टन तक अपशिष्ट निपटान व्यवस्था रूपये 20,000/- प्रतिवर्ष 2 प्रतिदिन 100 से अधिक किन्तु 500 टन तक अपशिष्ट निपटान रूपये 50,000/- प्रतिवर्ष 3 प्रतिदिन 500 टन से अधिक अपशिष्ट निपटान रूपये 1,00,000/- प्रतिवर्ष

3	खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016	पंजीयन/ अनुमति /प्राधिकार	1 उत्पादक हेतु		
			क्रम	श्रेणी	प्राधिकार प्रक्रिया प्रभार (पांच वर्ष हेतु)
			1	1 करोड से कम सूक्ष्म उद्योग	5000
			2	1 करोड से अधिक किन्तु 10 करोड से कम लघु उद्योग	10000
			3	10 करोड से अधिक किन्तु 50 करोड से कम मध्यम उद्योग	20000
			4	50 करोड से अधिक वृहद उद्योग	30000
			2 खतरनाक अपशिष्टों का केवल परिवहन करने वाले परिवहनकर्ता संस्थान हेतु प्राधिकार		रु.5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण		रु 2,50,000/- (5 वर्ष हेतु)
			3 खतरनाक अपशिष्टों का उपचार एवं अपवहन करने वाले संस्थानों हेतु प्राधिकार		रु10,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
			उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण		रु5,00,000/- (5 वर्ष हेतु)
4 मोबाईल टावर के साथ पृथक से संचालित डी.जी.सेट के प्राधिकार		रु 5,000/- (5 वर्ष हेतु)			
उपरोक्तानुसार प्राधिकार नवीनीकरण		रु 3,000/- (5 वर्ष हेतु)			
4	अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016	पंजीयन/ प्राधिकार	रुपये 10 करोड से कम विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थान हेतु रु. 1000/- प्रतिवर्ष		
			रुपये 10 करोड एवं उससे अधिक विनिधान करने वाले उद्योगों/संस्थान हेतु रुपये 2000/- प्रतिवर्ष		

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार


  
( ए.पी. मिश्रा )

सदस्य सचिव

भोपाल, दिनांक 31 MAR 2022

पृ० क्रमांक 1082/स्था/2022  
प्रतिलिपि:-

- 1 स्टॉफ ऑफीसर, अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ
- 2 प्रबंध संचालक, म.प्र.औद्योगिक विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 3 समस्त यूनिट हेड, मुख्यालय आंचलिक अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/ प्रयोगशाला प्रभारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 4 नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल/आईटी शाखा/कार्यालय आदेश

  
( ए.पी. मिश्रा )  
सदस्य सचिव,